

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2019—माघ 3, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2019

क्र. 1438-14-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 जनवरी 2019 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१९

## मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१९

[ दिनांक २२ जनवरी, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २३ जनवरी, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१९ है.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,२३,४७,६५,८४,९०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों, से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये बाईस हजार तीन सौ सैंतालीस करोड़ पैंसठ लाख चौरासी हजार नौ सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची  
( धारा २ और ३ देखिये )

( आंकड़े रुपयों में )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व ४०,३३,००,५००	६,८०,२००	४०,३९,८०,७००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व २,०४,००,०००	०	२,०४,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व पूंजी १,१८,५०,५८,२०० १५,३६,००,०००	१,४८,००० ०	१,१८,५२,०६,२०० १५,३६,००,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ३४,४६,०००	०	३४,४६,०००
०५.	जेल	राजस्व ३३,००,०००	०	३३,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	१,५९,१५,००,०००	५०,००,०००	१,५९,६५,००,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	२२,००,०००	०	२२,००,०००
१०.	वन	पूंजी	७,१७,३२,००,०००	०	७,१७,३२,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	२४,५१,५३,००,०००	०	२४,५१,५३,००,०००
		पूंजी	५,४०,२०,००,०००	०	५,४०,२०,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	७६,९२,७१,४०,७००	१०,००,०००	७६,९२,८१,४०,७००
१४.	पशुपालन	राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
		पूंजी	३,२४,००,०००	०	३,२४,००,०००
१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	३,२८,१०,०००	०	३,२८,१०,०००
१७.	सहकारिता	पूंजी	१०,००,००,००,०००	०	१०,००,००,००,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	१४,००,२००	०	१४,००,२००
		पूंजी	१००	०	१००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	३६,७५,००,०००	०	३६,७५,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	३२,३३,८१,२२,२००	२७,७७,०००	३२,३४,०८,९९,२००
		पूंजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
२३.	जल संसाधन	पूंजी	३,४६,००,०१,६००	७,००,००,०००	३,५३,००,०१,६००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	३२,०७,००,०००	०	३२,०७,००,०००
	पूंजी	१५,९७,००,००,०००	०	१५,९७,००,००,०००
२५. खनिज साधन	राजस्व	१,५८,७५,०००	०	१,५८,७५,०००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	पूंजी	३०,००,००,०००	०	३०,००,००,०००
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१,०७,२४,५८,१००	२,१४,००,१००	१,०९,३८,५८,२००
३०. ग्रामीण विकास	पूंजी	१,५०,००,००,१००	०	१,५०,००,००,१००
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	५,१६,५२,५००	०	५,१६,५२,५००
३२. जनसंपर्क	राजस्व	९९,८७,००,०००	०	९९,८७,००,०००
३३. जनजातीय कार्य	पूंजी	१००	०	१००
३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राजस्व	१,०९,५४,००,०००	०	१,०९,५४,००,०००
३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	१,८४,००,०००	२६,७४,०००	२,१०,७४,०००
	पूंजी	२,३०,००,००,०००	०	२,३०,००,००,०००
३६. परिवहन	पूंजी	२५,७५,०८,०००	०	२५,७५,०८,०००
३७. पर्यटन	पूंजी	७००	०	७००
३८. आयुष	राजस्व	६२,३८,९५,३००	०	६२,३८,९५,३००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व १,००,००,००,२००	० १,००,००,००,२००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व ३,९२,९३,०१,२०० पूंजी १००	० ३,९२,९३,०१,२०० ० १००
४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राजस्व ४००	० ४००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी १,५५,००,००,०००	० १,५५,००,००,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व १८,६४,००,०००	० १८,६४,००,०००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व ११,२४,४८,०००	० ११,२४,४८,०००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व १०,००,००,०००	० १०,००,००,०००
५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व १,४१,००,००,००० पूंजी १,६५,००,००,०००	० १,४१,००,००,००० ० १,६५,००,००,०००
५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व २२,२३,८६,४२,९०० पूंजी १७,१४,५००	० २२,२३,८६,४२,९०० ० १७,१४,५००
५६.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राजस्व ४००	० ४००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व ३०,०८,००,०००	० ३०,०८,००,०००
६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व ५,००,००,०००	७०,००,००,००० ७५,००,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
६५. विमानन	राजस्व	३,५४,००,०००	०
६७. लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	४५,०९,२८,२००	०
	पूंजी	२,००,००,२००	०
६९. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	राजस्व	१००	०
	राजस्व :	१,७१,८५,०८,२७,७००	७३,३६,७९,३००
	पूंजी :	५०,८२,२०,७७,९००	७,००,००,०००
	वृहद-योग :	२,२२,६७,२९,०५,६००	८०,३६,७९,३००

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2019

क्र. 1438 -14-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2019 (क्रमांक 1 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

NO. 1 OF 2019

## THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2019

[Received the assent of the Governor on the 22<sup>nd</sup> January 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 23<sup>rd</sup> January, 2019].

**An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the financial Year 2018-2019.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Ninth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2019.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Twenty-two thousand three hundred forty seven crore sixty five lakh eighty four thousand nine hundred only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial Year 2018-2019 in respect of services and purpose specified in column (2) of the Schedule.

Issue of Rs. 2,23,47,65,84,900 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2018-19.

3. The sum authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Appropriation.

THE SCHEDULE  
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
01.	General Administration Revenue	40,33,00,500	6,80,200	40,39,80,700
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department Revenue	2,04,00,000	0	2,04,00,000
03.	Police Revenue Capital	1,18,50,58,200 15,36,00,000	1,48,000 0	1,18,52,06,200 15,36,00,000
04.	Other expenditure pertaining to Home Department Revenue	34,46,000	0	34,46,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
05.	Jail	Revenue	33,00,000	0	33,00,000
08.	Land Revenue and District Administration	Revenue	1,59,15,00,000	50,00,000	1,59,65,00,000
09.	Expenditure pertaining to Revenue Department	Revenue	22,00,000	0	22,00,000
10.	Forest	Capital	7,17,32,00,000	0	7,17,32,00,000
12.	Energy	Revenue	24,51,53,00,000	0	24,51,53,00,000
		Capital	5,40,20,00,000	0	5,40,20,00,000
13.	Farmer Welfare and Agriculture Development	Revenue	76,92,71,40,700	10,00,000	76,92,81,40,700
14.	Animal Husbandry	Revenue	50,00,00,000	0	50,00,00,000
		Capital	3,24,00,000	0	3,24,00,000
16.	Fisherman Welfare and Fisheries Development	Revenue	3,28,10,000	0	3,28,10,000
17.	Co-operation	Capital	10,00,00,00,000	0	10,00,00,00,000
19.	Public Health and Family Welfare	Revenue	14,00,200	0	14,00,200
		Capital	100	0	100
20.	Public Health Engineering	Revenue	36,75,00,000	0	36,75,00,000
22.	Urban Development and Housing	Revenue	32,33,81,22,200	27,77,000	32,34,08,99,200
		Capital	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
23.	Water Resources Department	Capital	3,46,00,01,600	7,00,00,000	3,53,00,01,600
24.	Public Works—Roads and Bridges	Revenue	32,07,00,000	0	32,07,00,000
		Capital	15,97,00,00,000	0	15,97,00,00,000



(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
25.	Mineral Resources	Revenue	1,58,75,000	0	1,58,75,000
27.	School Education (Primary Education)	Capital	30,00,00,000	0	30,00,00,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	1,07,24,58,100	2,14,00,100	1,09,38,58,200
30.	Rural Development	Capital	1,50,00,00,100	0	1,50,00,00,100
31.	Planning Economics and Statistics	Revenue	100	0	100
		Capital	5,16,52,500	0	5,16,52,500
32.	Public Relations	Revenue	99,87,00,000	0	99,87,00,000
33.	Tribal Affairs	Capital	100	0	100
34.	Social Justice and disabled Person Welfare	Revenue	1,09,54,00,000	0	1,09,54,00,000
35.	Micro, Small & Medium Enterprises	Revenue	1,84,00,000	26,74,000	2,10,74,000
		Capital	2,30,00,00,000	0	2,30,00,00,000
36.	Transport	Capital	25,75,08,000	0	25,75,08,000
37.	Tourism	Capital	700	0	700
38.	Ayush	Revenue	62,38,95,300	0	62,38,95,300
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	1,00,00,00,200	0	1,00,00,00,200
44.	Higher Education	Revenue	3,92,93,01,200	0	3,92,93,01,200
		Capital	100	0	100
47.	Technical Education, Skill Development and Employment	Revenue	400	0	400

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
48.	Narmada Valley Development	Capital	1,55,00,00,000	0	1,55,00,00,000
49.	Scheduled Caste Welfare	Revenue	18,64,00,000	0	18,64,00,000
50.	Horticulture and Food Processing	Revenue	11,24,48,000	0	11,24,48,000
51.	Religious Trusts and Endowments	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
52.	Medical Education	Revenue	1,41,00,00,000	0	1,41,00,00,000
		Capital	1,65,00,00,000	0	1,65,00,00,000
53.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	22,23,86,42,900	0	22,23,86,42,900
		Capital	17,14,500	0	17,14,500
56.	Cottage and Rural Industry	Revenue	400	0	400
58.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	30,08,00,000	0	30,08,00,000
64.	Financial assistance to Urban bodies	Revenue	5,00,00,000	70,00,00,000	75,00,00,000
65.	Aviation	Revenue	3,54,00,000	0	3,54,00,000
67.	Public Works-Buildings	Revenue	45,09,28,200	0	45,09,28,200
		Capital	2,00,00,200	0	2,00,00,200
69.	Denotified Nomadic and Semi Nomadic Tribe Welfare	Revenue	100	0	100
Total	..	Revenue —	1,71,85,08,27,700	73,36,79,300	1,72,58,45,07,000
		Capital —	50,82,20,77,900	7,00,00,000	50,89,20,77,900
		Grand Total —	2,22,67,29,05,600	80,36,79,300	2,23,47,65,84,900